☎2286710, 2286709
राज्य नगरीय विकास अभिकरण
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग,
लखनऊ–226001
website-www.sudaup.org

पत्रांकः–2641/01/29/HFA-11/2017–18 दिनांकः–06 अक्टूबर, 2017

संशोधित

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

विषयः–**प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (नया/विस्तार) घटक के अन्तर्गत पात्रता की शर्तों के संशोधन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सूडा के पत्रांक–2588/01/29/एचएफए–11/2017–18 दिनांक 04.10.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण/विस्तार घटक हेतु पात्रता की शर्तें प्रेषित की गयी थी। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पत्र में वर्णित बिन्दु सं0–2 व 3 में भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन्स में हुए संशोधन को समाहित करते हुए संशोधित पात्रता की शर्तें निम्नवत् हैं:–

1. ई0डब्ल्यू0एस0 श्रेणी के लाभार्थी, जिनकी वार्षिक आय रु0 3.00 लाख है, पात्र होगें।
2. (i) लाभार्थी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से भारतवर्ष में पक्का घर नहीं होना चाहिए। परिवार की परिभाषा–पति, पत्नी एवं अविवाहित पुत्र/पुत्रियाँ शामिल होगें।

   (ii) भारत सरकार द्वारा परिवार की परिभाषा में किये गये संशोधन के अनुसार ऐसे व्यस्क पुरूष/स्त्री (वैवाहिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना) जो उपार्जक/रोजी कमाता हो, को भी पृथक परिवार के रूप में माना जाएगा। उक्त व्यस्क पुरूष/स्त्री जिनके पास स्वयं का कोई पक्का मकान न हो, भी योजना में लाभ लेने हेतु पात्र होगें।

   (iii) विवाहित दम्पति के प्रकरण में, पति–पत्नि दोनों में से किसी एक के नाम या दोनों एक साथ संयुक्त स्वामित्व में एक पक्का आवास हेतु पात्र होगें, बशर्ते कि इस योजना की गाइड लाइन्स में निर्धारित आय के मानकों को पूर्ण करता हो।
3. लाभार्थी चार घटकों में से किसी एक घटक का लाभ प्राप्त किये जाने के लिए पात्र होगा।
4. नये आवास निर्माण हेतु पात्र लाभार्थी का वर्तमान मकान कच्चा/अर्द्धकच्चा आदि (नया निर्मित करने योग्य) होना चाहिए।

5. जिन लाभार्थियों के पास पक्का अथवा अर्द्ध पक्का आवास है, जिसका कारपेट एरिया 21 वर्गमी0 तक है तथा यदि उसमें कमरा, रसोई, शौचालय, बाथरूम और किसी एक का कम्बीनेशन आदि में से किसी एक सुविधा नहीं है तो उसे भी आवास विस्तार हेतु निम्न शर्तों के साथ सम्मिलित किया जा सकता है:–

   (अ) आवास विस्तार का अर्थ है कि विद्यमान आवास में न्यूनतम कारपेट एरिया 9.00 वर्ग मी0 जोड़ा जायेगा, जिसमें एनबीसी0 मानक के अनुसार एक लिविंग रूम या कमरे के साथ रसोईघर और/या बाथरूम और/या शौचालय बनाया जायेगा।

6. पात्र लाभार्थी के पास स्वामित्वाधीन भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में पर्याप्त दस्तावेज होने आवश्यक है।

जैसा कि आप अवगत ही हैं कि कन्सलटेन्ट द्वारा लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण/विस्तार घटक के अन्तर्गत प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का डोर टू डोर शत प्रतिशत सत्यापन कराया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अभिकरण के पत्र संख्या–2588/01/29/एचएफए–11/2017–18 दिनांक 04.10.2017 में उल्लिखित पात्रता की शर्तों के स्थान पर उपरोक्त वर्णित शर्तों के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ को इस आशय के साथ कि उपरोक्तानुसार अपने स्तर से समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर निकाय को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. समस्त परियोजना अधिकारी, डूडा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक